(143)

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

(स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग)

पत्रांक 3328 दिनांक 27.6.2022

आदेश,

कार्यालय के विज्ञापन संख्या 3593 दिनांक 1.12.2021, सूचना पत्रांक 637 दिनांक 14.2.2022 एवं पत्रांक 819 दिनांक 26.2.2022 के आलोक में दिनांक 2.3.2022 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर निम्न DMFT Medical Officer & Ayush Medical Officer का चयन किया गया है।

क सं	चयनित चिकित्सक का नाम	पद का नाम	पदस्थापित स्थान का नाम	मानदेय प्रति माह।
1	डा.रविद्र कुमार	DMFT Medical Officer	प्रा.स्वा.के. मेकलुसकीगंज,बुढ़मू	63,000.00 (तिरेसठ हजार) रू. प्रतिमाह।
2	डा.संतोष कुमार सिह	DMFT Medical Officer	प्रा.स्वा.के.राय,बुढ़मू	63,000.00(तिरेसठ हजार) रू. प्रतिमाह।
3	डा.पूजा कुमारी	DMFT Medical Officer	प्रा.स्वा.के. खेलारी,बुढ़मू	63,000.00(तिरेसठ हजार) रू. प्रतिमाह।
4	Dr. Hricha	DMFT Medical Officer	प्रा.स्वा.के.राय,बुढ़मू	63,000.00(तिरेसठ हजार) रू. प्रतिमाह।
5	Dr.Vinod kumar Mahto	DMFT Medical Officer (Ayush)	प्रा.स्वा.के.राय,बुढ़मू	29,957.00 (उनतीस हजार नौ सौ सनतावन)रू.प्रतिमाह।
6	Dr.Seema Toppa	DMFT Medical Officer (Ayush)	प्रा.स्वा.के. खेलारी,बुढ़मू	29,957.00 (उनतीस हजार नौ सौ सनतावन)रू.प्रतिमाह।

1. नवनियुक्त चिकित्सक , आदेश निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर अनुबंध हस्ताक्षर हेतु सिविल सर्जन कार्यालय, रॉची में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात पदस्थापित संस्थान के अपना योगदान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बुढ़मू को देंगे।
2. यह नियुक्ति अनुबंध पर है जो एकरारनामा कि तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। अधोहस्ताक्षरी को आवश्यकता होने पर अनुबंध विस्तार किया जाएगा।
3. कार्य संतोषजनक नही होने पर एक माह के नोटिस पर आपका अनुबंध किसी भी समाप्त कर दिया जाएगा।
4. एकरारनामा के लिए 100.00 रू. का स्टाम्प पेपर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करेगे।
5. दिनांक 4.7.2022 तक योगदान नही करने पर आपका चयन रद्द समझा जाएगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,रॉची।

ज्ञापांक 3328 रॉची,दिनांक 27.6.2022

प्रतिलिपि – संबंधित चयनित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – विपत्र लिपिक/श्री अशीष रंजन, डीपीसी, आयुष्मान भारत, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित। एकरारनामा की कारवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुढ़मू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – उप विकास आयुक्त, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,रॉची।